



परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था
(भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग का स्वायत्त निकाय)
ATOMIC ENERGY EDUCATION SOCIETY

(An Autonomous Body under Department of Atomic Energy, Government of India)



एस. सरकार
अध्यक्ष

S. Sarkar
Chairman

प.ऊ.शि.सं./राजभाषा कार्यान्वयन/2021/783

दिनांक: 08.09.2021

संविधान सभा द्वारा 14 सितंबर, 1949को हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। हमारा संवैधानिक और प्रशासनिक उत्तरदायित्व है कि हम संविधान के अनुच्छेद 343 और 351 के अनुसार सरकारी कामकाज में राजभाषा हिंदी का अधिकतम प्रयोग करते हुए प्रचार-प्रसार बढ़ाएं। राजभाषा नियम, 1976के नियमों के अनुसार केंद्रीय सरकार के प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह उत्तरदायित्व है कि वह राजभाषा अधिनियम, 1963, नियमों तथा समय-समय राजभाषा विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का समुचित रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

हिंदी दिवस कार्यक्रम में माननीय गृहमंत्री जी, सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग के संदेशों का वाचन किया जाए और सचिव, राजभाषा विभाग से प्राप्त 'राजभाषा प्रतिज्ञा' ली जाए।

सत्यमेव जयते

(एस. सरकार)

अध्यक्ष, राजभाषा कार्यान्वयन समिति एवं
अध्यक्ष, परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था

अनुलग्नक-1. डॉ. सुमीत जैरथ, आई.ए.एस.

सचिव, राजभाषा विभाग का अ.शा. पत्र

2. श्री संजय कुमार,

संयुक्त सचिव (प्र. एवं ले.), प.ऊ.वि. का अ.शा. पत्र

प्रति,

1. सभी प्रमुख, केंद्रीय कार्यालय, प.ऊ.शि.सं., मुंबई
2. सभी प्रधानाचार्य, परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय

परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था, केंद्रीय कार्यालय, वेस्टर्न सेक्टर, अणुशक्तिनगर, मुंबई-400 094

Atomic Energy Education Society, Central Office, Western Sector, Anushaktinagar, Mumbai - 400 09

दूरभाष/Telephone: 91-22-2550 9730, फैक्स/Fax : 91-22-2555 6923, ई-मेल/E-mail: chairman-aees@nic.i